UPEW010017812026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा ।

उपस्थित–आलोक कुमार श्रीवास्तव, ...एच.जे.एस.

दण्ड प्रकीर्ण संख्या–147/2026

CNR NO–UPEW010017812026

साधना बनाम विजेन्द्र सिंह आदि।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–ऊसराहार,जिला–इटावा।

दिनांक–12.05.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुयी।

2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस०पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

3. आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी० एन०एस०एस० विपक्षीगण विजेन्द्र सिंह, सुमित उर्फ जग्गू, आरती, कन्हैया व राहुल के विरूद्ध योजित किया गया है और याचना की गयी है कि मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित किया जाये।

4. संक्षेप में आवेदिका का यह कथन है कि दिनांक 28.02.2026 को समय करीब 01:45 बजे दिन में यूको वेन सं०–MP07ZU/7314 से आये और आरती उस समय ग्राम नगला चतुर में रह रही थी,आरती के द्वारा चुपचाप फोन करके अपने पिता,भाई,बहनो तथा दो व्यक्ति अज्ञात उक्त वेन में बैठ कर आये और घर के अन्दर आकर दरवाजा बन्द करके घर में रखी अलमारी को तोड़ने लगे,उसने जब अलमारी तोड़ने से मना किया तो विपक्षी सं०–1व2 ने मां बहन की भद्दी–भद्दी गालियां रण्डी व कुतिया आदि अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे और जान से मार डालने

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.18 12:55:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की धमकी देते हुए अलमारी में रखे सोने के जेबर लर,4 चूड़ी,2 अंगूठी व चांदी की पायलें व लगभग 10,000/–रूपये तथा घर का सामान बर्तन (पीतल),कपड़े,सिलाई मशीन आदि यूको गाड़ी में डालकर ले गये। इस घटना से करीब 15 दिन पहले आरती व सुमित उर्फ जग्गू के द्वारा घर के अन्दर से गेहूँ व लाहा की बोरी आदि चीजों को घर से चोरी से निकाल कर बेंच दिया। उक्त घटना को आशीष अर्चना,राजू उर्फ अरविन्द,उपासना व गांव के अन्य लोगों ने सामान को यूको गाड़ी में डालते समय देखा,रोकने का प्रयास किया,तो विपक्षीगण ने धमकी दी कि अभी तो साधना को घर से निकाला है,तुम्हें भी झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। घटना की रिपोर्ट उसने थाना ऊसराहार में लिख कर दी गई थी,लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और न ही घटना में उसके आई चोटों का कोई डॉक्टरी मुआयना कराया गया। इस संबंध में उससे 2–3 दिन में आ जाना कहकर उसको हैरान व परेशान करते रहे। विपक्षीगण कभी भी अप्रिय घटना कर सकते हैं। आवेदिका ने दिनांक 12.03.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को रजिस्ट्री डाक से प्रार्थना पत्र भेजा,लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई,तब न्यायालय में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया।

5. आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन प्रपत्र दाखिल किये गये है।

6. आवेदिका के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन० एस० एस०के आलोक में थाना ऊसराहार जिला इटावा से आख्या तलब की गयी। थाना ऊसराहार जिला इटावा की आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

7. प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदिका साधना नगला चतुर थाना ऊसराहार जिला इटावा एवं विपक्षीगण विजेन्द्र सिंह,सुमित उर्फ जग्गू,आरती नगला चाचर,थाना फूफ,जिला भिण्ड म०प्र० के निवासी हैं। विपक्षी कन्हैया नगला चतुर थाना ऊसराहार जिला इटावा का निवासी है। आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में दिनांक 28.02.2026 की घटना का उल्लेख करते हुये कथन किया गया है कि विपक्षीगण यूको वेन में बैठ कर आये और घर के अन्दर रखी अलमारी को तोड़ने लगे,उसने जब अलमारी तोड़ने से मना किया तो विपक्षी सं०–1व 2 ने आवेदिका को मां–बहिन की

भद्दी–भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर व रूपयों तथा घर का सामान आदि लूट कारित की गयी। यह भी दर्शित है कि आवेदिका द्वारा कथित घटना से पूर्व हुयी एक अन्य घटना का भी उल्लेख प्रार्थनापत्र में करते हुये विपक्षी आरती व सुमित उर्फ जग्गू के द्वारा घर के अन्दर से गेहूँ व लाहा की बोरी को घर से चुराकर बेच देना बताया गया है,किन्तु उक्त घटना के सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा विपक्षी उपरोक्त के विरूद्ध क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी,इसका कोई उल्लेख प्रार्थनापत्र में दर्शित नहीं किया गया है।

8. यह भी दर्शित है कि घटना दिनांक 28.02.2026 की है। आवेदिका द्वारा कथित मारपीट में आयी चोटों के सम्बन्ध में स्वंय की कोई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दाखिल नहीं की गयी है। आवेदिका को विपक्षीगण के नाम व पता की जानकारी है। सभी तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है जिसे वह स्वयं साक्ष्य के द्वारा साबित कर सकती है। गवाह के नाम का भी उल्लेख आवेदिका द्वारा किया गया है। मामले में पुलिस से विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की विधि व्यवस्था **श्रीमती मोना पवार बनाम माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या–298/2011,निर्णय दिनांकित 02.02.2011 तथा एलिक पदमसी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (एस.सी.) 2007 (59)ए.सी.सी. 247 सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2007 (59) ए.सी.सी. 739** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुरूप,प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना उचित होगा। धारा–223 बी०एन०एस०एस०के परन्तुक तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था प्रतीक अग्रवाल प्रति उ० प्र०राज्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–482 द० प्र०संहिता संख्या–10390/ 2024 के अनुशरण में परिवादी/साक्षीगण के बयान के उपरान्त ही विपक्षीगण को सुनवायी का अवसर दिया जायेगा।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 29.05.2026 को पेश हो।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

(J.O.Code NO.U.P.1546)